कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक 5318 /14–10–4 दिनांक, हरदोई, 12-04-2017।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– **वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित वन भूमि 0.08471 हे0 भूमि पर गैर वानिकी कार्य व 46 बाधक पौधो के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव का प्रेषण।**

महोदय,

निवेदन है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिलग्राम–उन्नॉव मार्ग (राजमार्ग सं0–38) कि0मी0 01–02 के मध्य बांयी पटरी स्थित ग्राम–चॉदपुर बाहर परगना व तहसील तहसील–बिलग्राम में स्थापित होना प्रस्तावित है। पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.08471 हे0 भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य व 46 बाधक पौधो के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को संलग्नक सहित (04 प्रतियों में) आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–प्रस्ताव, सी0डी0 सहित।

भवदीय

(अतुल अस्थाना)
प्रभागीय निदेशक
सामा0 वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

पत्रांक 5318 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः–मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, प्लाट नं0–1, नेहरु इन्क्लेव गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अतुल अस्थाना)
प्रभागीय निदेशक
सामा0 वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

E:\\Surveyor\FCA-1980\HPCL Chandpur Pro.doc